रा.आ.बैंक (नदि)/डीओएस/पर्य. परिपत्र सं. 07/2021-22

पर्यवेक्षण विभाग

31 दिसम्बर, 2021

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां,

महोदया/महोदय,

मास्टर परिपत्र - आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां

मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 दिनांकित 17 फरवरी, 2021 के अनुच्छेद 117 के प्रावधानों में पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) जिसे बाद में रा.आ.बैंक अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, के द्वारा यथा संशोधित राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 31, 32 व 33 के प्रावधानों एवं इस संबंध में इसे सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक (बाद में बैंक के रूप में संदर्भित) यह उचित समझता है कि आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) का पर्यवेक्षण करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक एवं समीचीन है तथा मास्टर परिपत्र No. NHB(ND)/DOS/Sup. Circular No.5/2020-21, dated April 13, 2021 के प्रतिस्थापन में, एतदद्वारा यह मास्टर परिपत्र जारी करता है।

2. इस परिपत्र के प्रावधान 31 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होंगे।

3. यह परिपत्र रा.आ.बैंक की वेबसाइट (https://nhb.org.in/en/regulation_post/supervisory-circular/ पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(विनीत सिंघल)
महाप्रबंधक

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाइट: www.nhb.org.in ई. मेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone: 011-3918 7000 Fax: 011-2464 9030
Website: www.nhb.org.in E-mail: ho@nhb.org.in

"बैंक हिंदी में पत्राचार का स्वागत करता है"

<u>विषय-सूची</u>

अध्याय I – परिचय
अध्याय II – आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां
अध्याय III – प्रस्तुति का माध्यम
अध्याय IV – व्याख्या
अध्याय V – छूट
अनुलग्नक
अनुलग्नक I - सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी) का प्रारूप
अनुलग्नक -II - निदेशकों के परिवर्तन पर विवरण (एससीडी) का प्रारूप
अनुलग्नक III - एफडीआई मानदंडों के अनुपालन पर सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र का प्रारूप
अनुलग्नक IV - विदेशी निवेश करने वाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही विवरणी का प्रारूप
अनुलग्नक V – आ.वि.कं. द्वारा हेजिंग के प्रयोजन हेतु ब्याज दर फ्यूचर्स लेनदेन के छमाही विवरण का प्रारूप
परिशिष्ट
परिशिष्ट -I – विवरणियों हेतु संलग्नक

अध्याय – I
परिचय

1. सभी आवास वित्त कंपनियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभिन्न विवरणियां दाखिल करने हेतु एक रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करेंगी।
2. वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने/पूरा करने जैसे किसी भी कारण से विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब नहीं होना चाहिए।
3. विवरणी का संकलन कंपनी के खाता-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। वे आ.वि.कं. जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 4 के अंतर्गत कवर किया गया है व जिन्हें भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) का अनुपालन करते हुए अपना वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है, इंड-एएस वित्तीयन के आधार पर सभी विवरणियां प्रस्तुत करेंगे।
4. विवरणियां आ.वि.कं. के अधिकृत अधिकारी जिन्हें इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया जाएगा, के द्वारा ओआरएमआईएस पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाएंगी।
5. आ.वि.कं. बैंक को विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु इस परिपत्र में निर्धारित समय-सीमा का पूरी तरह से पालन करेंगी, ऐसा न करने पर संबंधित आवास वित्त कंपनियां राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगी।
6. प्रयोजन हेतु, विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने की संगणना विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से की जाएगी। यदि देय विवरणी अगली ऐसी विवरणी के देय होने के समय तक प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो इसे विवरणी को प्रस्तुत न करने के रूप में माना जाएगा।
7. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थिति अर्थात 30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर/31 मार्च के संदर्भ में विभिन्न विवरणियां जैसे मासिक, तिमाही, छमाही आदि के अंतर्गत प्रस्तुत सामान्य वित्तीय मानकों, यदि कोई हो, पर जानकारी स्थिर रहेगी।
8. अनंतिम विवरणी में प्रस्तुत की गई जानकारी अंतिम विवरणी में दी गई जानकारी की तुलना में विशेष रूप से भिन्न नहीं होनी चाहिए। यदि अनंतिम विवरणी की तुलना में अंतिम विवरणी में किसी मूल्य में पर्याप्त परिवर्तन होता है, तो बैंक उस हेतु स्पष्टीकरण मांग सकता है।
9. यह सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाये कि यदि किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत पाए जाते हैं, तो बैंक इस मामले में गंभीरता से विचार करेगा।
10. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब भी प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निदेशक, सांविधिक लेखा परीक्षक, प्रधान अधिकारी, नोडल अधिकारी, अनुपालन अधिकारी, कार्यात्मक प्रमुख, नामित निदेशक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, शिकायत निवारण अधिकारी, शाखा/कार्यालय, कॉरपोरेट कार्यालय का पता आदि में परिवर्तन होता है, तब ओआरएमआईएस पोर्टल में सूचना तत्काल अपडेट की जाती है। ध्यान दिया जाये कि यह एक अतिरिक्त आवश्यकता है व इसे मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत या तो सामान्यत: या अन्यथा निर्धारित किसी भी अन्य रिपोर्टिंग आवश्यकता से छूट के रूप में नहीं माना जाएगा।

अध्याय – II

आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां

आ.वि.कं. को अपनी जमा स्वीकृति, विवेकपूर्ण मानदंड अनुपालन, एएलएम आदि के संबंध में बैंक को विभिन्न विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां निम्नानुसार हैं:

1. <u>अनुसूची-I:</u>

सभी आ.वि.कं. को वार्षिक आधार पर अनुसूची-I विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: - वित्तीय विवरण जैसे कि सार्वजनिक जमा का विवरण, वैयक्तिकों को आवास ऋण का श्रेणी-वार संवितरण, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश-वार संवितरण आदि को कैप्चर करने हेतु।

टिप्पणी: 31 मार्च के संदर्भ में आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत विवरण को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

संलग्नक: कृपया परिशिष्ट – I का संदर्भ लें।

2. <u>अनुसूची -II:</u>

सभी आ.वि.कं. को छमाही आधार पर अनुसूची- II विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: - *विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंडों, जैसे पूंजी पर्याप्तता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, एनओएफ आदि के अनुपालन को कैप्चर करने हेतु।*

टिप्पणी: *30 सितंबर/31 मार्च के संदर्भ में आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत विवरण को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।*

संलग्नक: कृपया परिशिष्ट – I का संदर्भ लें।

3. <u>अनुसूची -III:</u>

जमा स्वीकार करने वाली सभी आ.वि.कं. को अपने आस्ति आकार पर विचार किये बिना तिमाही आधार पर अनुसूची-III विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: - एसएलआर मानदंडों का अनुपालन कैप्चर करने व चल आस्ति (केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में सावधि जमा आदि) में सांविधिक निवेश का विवरण कैप्चर करने हेतु।

टिप्पणी: 31 मार्च के संदर्भ में आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत विवरण को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

संलग्नक: कृपया परिशिष्ट – I का संदर्भ लें।

4. <u>अनुसूची -IV:</u>

सभी आ.वि.कं. को तिमाही आधार पर अनुसूची-IV विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: - वित्तीय विवरण जैसे कि आस्ति व देयता के घटक, लाभ और हानि खाता, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर आदि कैप्चर करने हेतु।

टिप्पणी: 31 मार्च के संदर्भ में आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत विवरण को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

संलग्नक: कृपया परिशिष्ट – I का संदर्भ लें।

5. <u>अनुसूची -V:</u>

सभी आ.वि.कं. को मासिक आधार पर अनुसूची-V विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: - ऋण व अग्रिम, उधार, आस्ति गुणवत्ता एवं आवास ऋण की ब्याज दर संरचना आदि में प्रवृत्ति कैप्चर करने हेतु।

संलग्नक: कृपया परिशिष्ट – I का संदर्भ लें।

6. <u>एलसीआर विवरणी:</u>

जमा स्वीकार करने वाली सभी आ.वि.कं. को अपने आस्ति आकार पर विचार किये बिना; व पिछले वर्ष के यथा 31 मार्च को प्रकाशित खातों के अनुसार ₹5,000 करोड़ एवं इससे अधिक की आस्ति आकार के साथ जमा स्वीकार न करने वाली सभी आ.वि.कं. को साप्ताहिक आधार पर एलसीआर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: - आगामी 30 दिनों में आ.वि.कं. का चलनिधि कवरेज कैप्चर करने हेतु।

संलग्नक: कृपया परिशिष्ट – I का संदर्भ लें।

7. **आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) विवरणियां:**

जमा स्वीकार करने वाली सभी आ.वि.कं. को अपने आस्ति आकार पर विचार किये बिना; व पिछले वर्ष के यथा 31 मार्च को प्रकाशित खातों के अनुसार ₹100 करोड़ एवं इससे अधिक की आस्ति आकार के साथ जमा स्वीकार न करने वाली सभी आ.वि.कं. को नीचे दिये अनुसार विभिन्न अंतराल पर निम्नलिखित एएलएम विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

(i) अल्पकालिक गतिशील चलनिधि [एसटीडीएल] के विवरण पर एएलएम-I - तिमाही; तथा
(ii) संरचनात्मक चलनिधि और ब्याज दर संवेदनशीलता [एसएलएंडआईआरएस] के विवरण पर एएलएम- II, - छमाही।

प्रयोजन: - आ.वि.कं. के आस्ति देयता प्रबंधन व विभिन्न समयावधियों के अंतर्गत इसकी स्थिति कैप्चर करने हेतु।

संलग्नक: कृपया परिशिष्ट – I का संदर्भ लें।

8. **प्रमुख एक्सपोजर विवरणी:**

सभी आ.वि.कं. को तिमाही आधार पर 20 प्रमुख एक्सपोजर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: - तिमाही समाप्ति पर आ.वि.कं. के बड़े उधारकर्ताओं का विवरण कैप्चर करने हेतु।

9. **व्यापक चलनिधि विवरणी:**

जमा स्वीकार करने वाली सभी आ.वि.कं. को आस्ति आकार पर विचार किये बिना तिमाही आधार पर व्यापक चलनिधि विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: - भा.रि.बैंक को आगे जमा करने के लिये तिमाही समाप्ति पर बड़ी आ.वि.कं. की देयताओं व आस्तियों का कुछ विवरण कैप्चर करने हेतु।

10. **सरफेसी विवरणी:**

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 'वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित आ.वि.कं. को तिमाही आधार पर सरफेसी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: - तिमाही समाप्ति पर सरफेसी कार्य-प्रणाली के अंतर्गत आस्ति की स्थिति कैप्चर करने हेतु।

11. **सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी):**

प्रत्येक आ.वि.कं. अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से प्रत्येक वर्ष इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि

वह आवास वित्त संस्थान के कारोबार में प्रवृत्त है जिस हेतु उसे राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29क या भारतीय रिजर्व बैंक की संबंधित धारा के अन्तर्गत दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षकों से सूचना प्राप्त करने के तरीके में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु, एसएसी का एकसमान प्रारूप **अनुलग्नक-I** के तहत निर्धारित किया गया है।

प्रयोजन: - पीबीसी के साथ निरंतर विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण व रिपोर्ट

1. निदेशकों के परिवर्तन पर विवरण (एससीडी)

जमा स्वीकार करने वाली सभी आ.वि.कं., अपने आस्ति आकार पर विचार किये बिना; व पिछले वर्ष के यथा 31 मार्च को प्रकाशित खातों के अनुसार ₹50 करोड़ एवं इससे अधिक की आस्ति आकार के साथ जमा स्वीकार न करने वाली सभी आ.वि.कं., निदेशकों के परिवर्तन पर एक तिमाही विवरण तथा आ.वि.कं. के प्रबंध निदेशक से एक प्रमाणपत्र जो निदेशकों के चयन में उचित व उपयुक्त मानदंडों का पालन करती है, प्रस्तुत करेगी। 31 मार्च को समाप्त तिमाही हेतु आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत विवरण लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, तिमाही के दौरान निदेशकों में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में, एक 'शून्य' विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विवरण **अनुलग्नक-II** में दिए गए प्रारूप में संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर रा.आ.बैंक को तक पहुंच जाना चाहिए।

प्रयोजन: मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के अनुच्छेद 52.4 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

2. एफडीआई मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र :

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली आ.वि.कं. को **अनुलग्नक -III** में दिए गए प्रारूप में एफडीआई के मौजूदा नियमों एवं शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए छमाही आधार पर अपने सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: एफडीआई मानदंडों का अनुपालन व इसकी गतिविधियां कैप्चर करना जो फेमा के तहत अनुमत गतिविधियों तक ही सीमित हैं।

3. विदेशी निवेश रिपोर्ट:

विदेशी निवेश वाली आ.वि.कं. (जमा स्वीकार करने वाली व जमा न करने वाली दोनों) को तिमाही आधार पर विदेशी निवेश रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है तथा विदेशी निवेश विवरणी का प्रारूप **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

प्रयोजन: आ.वि.कं. द्वारा विदेशी निवेश पर विवरण कैप्चर करने हेतु।

4. <u>ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) लेनदेन पर विवरण:</u>

आईआरएफ एक्सचेंज में भाग लेने वाली आ.वि.कं. को अपने पहले एक्सपोजर की हेजिंग के लिए छमाही की समाप्ति से एक महीने की अवधि के भीतर **अनुलग्नक-V** में दिए गए प्रारूप में छमाही विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्रयोजन: ब्याज दर फ्यूचर बाजार में आ.वि.कं. की सहभागिता की सीमा जानने हेतु।

टिप्पणी: आ.वि.कं. इस परिपत्र में शामिल नहीं किए गए मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के प्रावधानों के तहत निर्धारित अन्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

*****

अध्याय-III
प्रस्तुति का माध्यम

बैंक ने अपनी हरित पहल, पेपरलेस दृष्टिकोण व ई-गवर्नेंस प्रथाओं की पहल के अंतर्गत, आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) द्वारा विवरणी एवं विभिन्न अन्य सूचनाओं को ऑनलाइन जमा करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रबंधन सूचना प्रणाली (ओआरएमआईएस) विकसित की थी। इस प्रणाली को इंटरनेट पर सुरक्षित व प्रभावी तरीके से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने एवं उपयोगकर्ता परिचय (क्रेडेंशियल) *[डिजिटल हस्ताक्षर (डीएस) एकीकरण के साथ उपयोगकर्ता-आईडी/पासवर्ड*] का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करने में आ.वि.कं. की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऑनलाइन पोर्टल आ.वि.कं. को 27 जून, 2016 से यूआरएल https://ormis.nhbonline.org.in/hfc पर उपलब्ध कराया गया था और 1 जनवरी, 2017 से इसे पूरी तरह से परिचालन में लाया जा रहा था।

इस संदर्भ में, आ.वि.कं. को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवरणियां/सूचनाएं केवल ओआरएमआईएस के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करना जारी रखें। नई आ.वि.कं. ओआरएमआईएस में अपने पंजीकरण के लिए यूआरएल https://ormis.nhbonline.org.in/hfc/regis- trationhfcform.aspx पर पंजीकरण प्रपत्र भरकर अनुरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। नई आ.वि.कं. को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएं जो कि यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्होंने स्वयं को ओआरएमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत करा लिया है, एवं आ.वि.कं. मास्टर शीट आदि को यथाशीघ्र पूरा कर लिया है। ओआरएमआईएस से संबंधित किसी भी बाधा का सामना करने के मामले में, ओआरएमआईएस पोर्टल हेतु समर्पित सहायता ई-मेल आईडी: ormis.support@nhb.org.in व फोन नंबर: 011-3918-7590 पर उपलब्ध है। ओआरएमआईएस के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका (मैनुअल) ओआरएमआईएस पोर्टल के होमपेज से डाउनलोड की जा सकती है

टिप्पणी: बैंक ने अपनी वेबसाइट https://nhb.org.in व बैंक के ओआरएमआईएस पोर्टल https://ormis.nhbonline.org.in/hfc/ पर विवरणियां जैसे अनुसूची- I, अनुसूची- II, अनुसूची- III, अनुसूची- IV आदि के प्रारूप की उपलब्ध कराए हैं।

आ.वि.कं. की विभिन्न श्रेणियों में विवरणियां व उनकी आवधिकता का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है।

*****

क. <u>जमा स्वीकार करने वाली सभी आ.वि.कं. द्वारा अपने आस्ति आकार पर विचार किये बिना प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का विवरण</u>

क्र. सं.	विवरणी का नाम	आवधिकता	संदर्भ तिथि	रिपोर्टिंग समय	को देय
1.	एलसीआर	साप्ताहिक	प्रत्येक सप्ताह की समाप्ति (शुक्रवार)	5 दिन	अगले सप्ताह के बुधवार तक
2.	अनुसूची-V	मासिक	प्रत्येक माह की समाप्ति	10 दिन	अगले महीने की 10 तारीख
3.	अनुसूची-IV	तिमाही	31 मार्च/	45 दिन	15 मई/
			30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	15 दिन	15 जुलाई/ 15अक्टूबर/ 15 जनवरी
4.	अनुसूची-III	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	15 दिन	15 अप्रैल/ 15 जुलाई/ 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी
5.	एएलएम-I (एसटीडीएल)	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	10 दिन	10 अप्रैल/ 10 जुलाई / 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
6.	20 प्रमुख एक्सपोज़र	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	10 दिन	10 अप्रैल/ 10 जुलाई / 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
7.	व्यापक चलनिधि	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	10 दिन	10 अप्रैल/ 10 जुलाई / 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
8.	एएलएम-II (एसएलएंडआईआरएस)	छमाही	31 मार्च/ 30 सितम्बर	20 दिन	20 अप्रैल/ 20 अक्टूबर
9.	अनुसूची- II	छमाही	31 मार्च/ 30 सितम्बर/	6 सप्ताह	12 मई/ 12 नवम्बर
10.	अनुसूची- I	वार्षिक	31 मार्च	30 जून	
11.	सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च	यह सूचित किया जाता है कि सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर तुलन-पत्र को अंतिम रूप देने की तिथि से एक माह के भीतर विवरणी प्रस्तुत करें।	
12.	निदेशकों के परिवर्तन पर विवरण	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	15 दिन	15 अप्रैल/ 15 जुलाई/ 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी

ख. ₹5,000/- करोड़ व उससे अधिक के आस्ति के आकार के साथ जमा स्वीकार करने वाली सभी आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का विवरण

क्र. सं.	विवरणी का नाम	आवधिकता	संदर्भ तिथि	रिपोर्टिंग समय	को देय
1.	एलसीआर	साप्ताहिक	प्रत्येक सप्ताह की समाप्ति (शुक्रवार)	5 दिन	अगले सप्ताह के बुधवार तक
2.	अनुसूची-V	मासिक	प्रत्येक माह की समाप्ति	10 दिन	अगले महीने की 10 तारीख
3.	अनुसूची-IV	तिमाही	31 मार्च/	45 दिन	15 मई/
			30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	15 दिन	15 जुलाई/ 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी
4.	एएलएम-I (एसटीडीएल)	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	10 दिन	10 अप्रैल/ 10 जुलाई / 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
5.	20 प्रमुख एक्सपोज़र	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	10 दिन	10 अप्रैल/ 10 जुलाई / 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
6.	एएलएम-II (एसएलएंडआईआरएस)	छमाही	31 मार्च/ 30 सितम्बर	20 दिन	20 अप्रैल/ 20 अक्टूबर
7.	अनुसूची- II	छमाही	31 मार्च/ 30 सितम्बर/	6 सप्ताह	12 मई/ 12 नवम्बर
8.	अनुसूची- I	वार्षिक	31 मार्च	30 जून यह सूचित किया जाता है कि सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर तुलन-पत्र को अंतिम रूप देने की तिथि से एक माह के भीतर विवरणी प्रस्तुत करें।	
9.	सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च		
10.	निदेशकों के परिवर्तन पर विवरण	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	15 दिन	15 अप्रैल/ 15 जुलाई/ 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी

ग. ₹100/- करोड़ व उससे अधिक किंतु ₹5,000/- करोड़ से कम के आस्ति के आकार के साथ जमा स्वीकार न करने वाली आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का विवरण

क्र. सं.	विवरणी का नाम	आवधिकता	संदर्भ तिथि	रिपोर्टिंग समय	को देय
1.	अनुसूची-V	मासिक	प्रत्येक माह की समाप्ति	10 दिन	अगले महीने की 10 तारीख
2.	अनुसूची-IV	तिमाही	31 मार्च/	45 दिन	15 मई/
			30 जून/ 30 सितम्बर/31 दिसम्बर	15 दिन	15 जुलाइ/ 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी
3.	एएलएम-I (एसटीडीएल)	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	10 दिन	10 अप्रैल/ 10 जुलाई / 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
4.	20 प्रमुख एक्सपोज़र	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	10 दिन	10 अप्रैल/ 10 जुलाई / 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
5.	एएलएम-II (एसएलएंडआईआरएस)	छमाही	31 मार्च/ 30 सितम्बर	20 दिन	20 अप्रैल/ 20 अक्टूबर
6.	अनुसूची- II	छमाही	31 मार्च/ 30 सितम्बर/	6 सप्ताह	12 मई/ 12 नवम्बर
7.	अनुसूची- I	वार्षिक	31 मार्च	30 जून यह सूचित किया जाता है कि सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर तुलन-पत्र को अंतिम रूप देने की तिथि से एक माह के भीतर विवरणी प्रस्तुत करें।	
8.	सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च		
9.	निदेशकों के परिवर्तन पर विवरण	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	15 दिन	15 अप्रैल/ 15 जुलाई/ 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी

घ. ₹100/- करोड़ से कम के आस्ति के आकार के साथ जमा स्वीकार न करने वाली आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का विवरण:

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरणी का नाम</th><th>आवधिकता</th><th>संदर्भ तिथि</th><th>रिपोर्टिंग समय</th><th>को देय</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अनुसूची-V</td><td>मासिक</td><td>प्रत्येक माह की समाप्ति</td><td>10 दिन</td><td>अगले महीने की 10 तारीख</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">अनुसूची-IV</td><td rowspan="2">तिमाही</td><td>31 मार्च/</td><td>45 दिन</td><td>15 मई/</td></tr>
<tr><td>30 जून/
30 सितम्बर/
31 दिसम्बर</td><td>15 दिन</td><td>15 जुलाइ/
15 अक्टूबर/
15 जनवरी</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>20 प्रमुख एक्सपोज़र</td><td>तिमाही</td><td>31 मार्च/
30 जून/
30 सितम्बर/
31 दिसम्बर</td><td>10 दिन</td><td>10 अप्रैल/
10 जुलाई /
10 अक्टूबर/
10 जनवरी</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अनुसूची- II</td><td>छमाही</td><td>31 मार्च/
30 सितम्बर/</td><td>6 सप्ताह</td><td>12 मई/
12 नवम्बर</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अनुसूची- I</td><td>वार्षिक</td><td>31 मार्च</td><td colspan="2" rowspan="2">30 जून

यह सूचित किया जाता है कि सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर तुलन-पत्र को अंतिम रूप देने की तिथि से एक माह के भीतर विवरणी प्रस्तुत करें।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र</td><td>वार्षिक</td><td>31 मार्च</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>निदेशकों के परिवर्तन पर विवरण</td><td>तिमाही</td><td>31 मार्च/
30 जून/
30 सितम्बर/
31 दिसम्बर</td><td>15 दिन</td><td>15 अप्रैल/
15 जुलाई/
15 अक्टूबर/
15 जनवरी</td></tr>
</table>

ङ. संबंधित आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र/विवरण/रिपोर्ट/विवरणियां:

क्र. सं.	विवरणी का नाम	आवधिकता	संदर्भ तिथि	रिपोर्टिंग समय	को देय
1.	सरफेसी	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	5 दिन	5 अप्रैल/ 5 जुलाई/ 5 अक्टूबर/ 5 जनवरी
2.	एफडीआई मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र	छमाही	31 मार्च/ 30 सितम्बर	एक माह	30 अप्रैल/ 31 अक्टूबर
3.	विदेशी निवेश रिपोर्ट	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितम्बर/ 31 दिसम्बर	15 दिन	15 अप्रैल/ 15 जुलाई / 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी/
4.	ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) लेनदेन पर विवरण	छमाही	31 मार्च/ 30 सितम्बर	एक माह	30 अप्रैल/ 31 अक्टूबर

अध्याय IV

व्याख्या

परिपत्र के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन हेतु, यदि बैंक आवश्यक समझे, तो इसमें कवर किये गये किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है व बैंक द्वारा दिए गए परिपत्र के किसी भी प्रावधान की व्याख्या सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम व बाध्यकारी होगी। इसके अतिरिक्त, ये प्रावधान निदेश के अन्य प्रावधानों के साथ लागू होंगे जो कि प्रावधानों के अतिरिक्त होगा तथा किसी अन्य विधि, नियम, विनियमन या निदेशों के न्यूनीकरण में नहीं होंगे।

अध्याय V

छूट

बैंक, यदि किसी भी विपत्ति से बचने के लिए या किसी अन्य उचित व पर्याप्त कारण हेतु आवश्यक समझता है, तो परिपत्र के सभी या किसी भी प्रावधान से या तो सामान्यत: या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अधीन जो बैंक लागू कर सकता है, किसी भी आवास वित्त कंपनी या आवास वित्त कंपनी के वर्ग को अनुपालन करने या छूट देने के लिए समय का विस्तार कर सकता है।

*****

अनुलग्नक-I

<u>सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी) का प्रारूप</u>

(कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के लेटर हेड पर)

हमने प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर 31 मार्च, 20…. को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु .... (कंपनी का नाम)
के खाता-बहियों व अन्य अभिलेखों की जांच की है, एवं हम निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं:

(जो लागू न हो लागू नहीं लिखें)

क्र. सं.	**विवरण**	**ब्यौरा**
1.	कंपनी का नाम	
2.	पंजीकरण प्रमाण पत्र सं.	
3.	पंजीकृत कार्यालय पता	
4.	कॉरपोरेट कार्यालय का पता	
5.	भा.रि.बैंक द्वारा आ.वि.कं को निम्न लेयर के तहत चिन्हित किया गया है: *(भा.रि.बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए स्केल आधारित विनियमन के ढांचे के अनुसार)*	(बेस लेयर /मध्य लेयर /ऊपरी लेयर /शीर्ष लेयर /लागू नहीं)
6.	निवल स्वाधिकृत निधि (₹ करोड़ में)	
7.	कुल आस्तियां (₹ करोड़ में)	
8.	आस्ति-आय पद्धति (एनबीएफसी): क) कुल आस्तियों की तुलना में वित्तीय आस्तियों का % *(अमूर्त आस्तियों द्वारा समायोजित)* ख) सकल आय की तुलना में वित्तीय आस्तियों से आय का %	
9.	प्रमुख व्यवसाय मानदंड (आ.वि.कं.): क) कुल आस्तियों की तुलना में आवास वित्त का % *(अमूर्त आस्तियों द्वारा समायोजित)*	

	ख) कुल आस्तियों की तुलना में वैयक्तिकों हेतु आवास वित्त का % *(अमूर्त आस्तियों द्वारा समायोजित)* *मास्टर निदेश-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के अनुच्छेद 4.1.17. के अनुसार।*	

10.	क्या यथा 31 मार्च, 20... को कंपनी के पास कोई सार्वजनिक जमा राशि थी?	(हाँ/नही) यदि हाँ, तो राशि ₹ करोड़ में
11.	क्या कंपनी ने वर्ष हेतु अपने निवल लाभ से निर्धारित राशि को आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया है? *(रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ग के अनुसार)*	(हाँ/नही) यदि हाँ, तो राशि ₹ करोड़ में
12.	क्या कंपनी को कोई एफडीआई प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने एफडीआई के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड का अनुपालन किया है?	(हाँ/नही)
13.	क्या वर्ष के दौरान कोई अधिग्रहण/नियंत्रण का अधिग्रहण/शेयरधारिता/प्रबंधन में परिवर्तन हुआ है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है?	(हाँ/नही) यदि हाँ, तो कृपया उल्लिखित करें।

✓ मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के अध्याय XII के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को एक अलग रिपोर्ट तैयार की गई है।

✓ हमने मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के अध्याय XII के अनुच्छेद 72 के प्रावधानों को पढ़ और समझ लिया है।

✓ हमने इस प्रमाणपत्र में प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुरक्षित खाता-बहियों व अन्य अभिलेखों की जांच की है तथा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, इस प्रमाणपत्र में दिए गए आंकड़े सही हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर व मुहर: दिनांक:……………………….

स्थान:…………………..

अनुलग्नक-II

निदेशकों के परिवर्तन पर विवरण (एससीडी) का प्रारूप

(कंपनी के लेटर हेड पर)

30 जून / 30 सितंबर / 31 दिसंबर, 20….. को समाप्त तिमाही को निदेशकों की सूची

क्र. सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति/समाप्ति	प्रभावी तिथि	स्वतंत्र निदेशक (हां/नहीं)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि निदेशकों के चयन, नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति में भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों के तहत निर्धारित उपयुक्त एवं उचित मानदंड का पालन किया गया है।

हस्ताक्षर व मुहर
(प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष/निदेशक)

दिनांक:……………………….

स्थान:………………….

निदेशकों के परिवर्तन पर विवरण (एससीडी) का प्रारूप

(कंपनी के लेटर हेड पर)

31 मार्च, 20. …. को समाप्त तिमाही को निदेशकों की सूची

क्र. सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति/समाप्ति	प्रभावी तिथि	स्वतंत्र निदेशक (हां/नहीं)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि निदेशकों के चयन, नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति में भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों के तहत निर्धारित उपयुक्त एवं उचित मानदंड का पालन किया गया है।

हस्ताक्षर व मुहर
(प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक
अधिकारी/अध्यक्ष/निदेशक)

दिनांक:…………………

स्थान:………………….

हमने इस विवरण में प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुरक्षित खाता अभिलेखों की जांच की है तथा रिपोर्ट

करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, इस विवरण में दिए गए आंकड़े सही हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर व मुहर: दिनांक:……………………….

स्थान:…………………..

अनुलग्नक-III

<u>एफडीआई मानदंडों के अनुपालन पर सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

(कंपनी के लेटर हेड पर)

हमने 30 सितंबर/31 मार्च, 20 को समाप्त छमाही हेतु ……..(कंपनी का नाम) के खाता-बहियों व अन्य अभिलेखों की जांच की है। हमें प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने इस अवधि के दौरान समय-समय पर संशोधित एफडीआई मानदंडों के तहत निर्धारित मौजूदा नियमों एवं शर्तों का अनुपालन किया है, जिसके तहत एफडीआई की अनुमति है।

सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर व मुहर:

दिनांक:……………………….

स्थान:………………….

अनुलग्नक-IV

यथा 30 जून / 30 सितंबर / 31 दिसंबर / 31 मार्च को स्थिति के संबंध में विदेशी निवेश वाली आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही रिपोर्ट

क्र. सं.	**डब्ल्यूओएस/जेवी का नाम (जेवी के लिए, भागीदारों के नाम इंगित करें)**	**देश व निगमन की तारीख**	**एनओसी की तिथि, यदि कोई हो**	**किया गया व्यवसाय**

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th colspan="4">अवधि के अंत में पैरामीटर्स</th></tr>
<tr><td>क)</td><td colspan="4">सीआरएआर:</td></tr>
<tr><td>ख)</td><td colspan="4">एनओएफ:</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td colspan="4">अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार आवास वित्त कंपनी का निवल लाभ:</td></tr>
<tr><td>घ)</td><td colspan="4">तिमाही के दौरान डब्ल्यूओएस/जेवी को किए गए विप्रेषण की राशिः</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>डब्ल्यूओएस/जेवी का नाम</td><td>विप्रेषित राशि</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ड़)</td><td colspan="4">तिमाही (राशि एवं आ.वि.कं. के स्वाधिकृत निधियां के प्रतिशत के रूप में) के अंत में डब्ल्यूओएस/जेवी में संचयी निवेश (इक्विटी/निधि-आधारित प्रतिबद्धता):</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>डब्ल्यूओएस/जेवी का नाम</td><td>विप्रेषित राशि एवं बंद हो गई अनुषंगी कंपनी, यदि कोई हो, सहित स्वाधिकृत निधियों के प्रतिशत के रूप में</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>च)</td><td colspan="4">आ.वि.कं. के एनओएफ के प्रतिशत के रूप में आ.वि.कं. के कुल विदेशी निवेश:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">क्या विदेशी डब्ल्यूओएस/जेवी को मेज़बान देश मे विनियमित किया जाता है। अगर हाँ</td></tr>
</table>

ज)	**विनियामक का नाम**	**रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किया गया कोई भी विनियामक दौरा**	**विनियामक द्वारा व्यक्त की गई चिंता**	**अवधि के दौरान कोई भी विनियामक परिवर्तन जो अनुषंगी कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित करेगा**	**विदेशी विनियामक द्वारा लगाया गया अर्थदंड, यदि कोई हो**

त्र)	गारंटी, चुकौती आश्ववासन पत्र सहित तिमाही के दौरान मूल कंपनी द्वारा जेवी/डब्ल्यूओएस को दिए गए समर्थन की प्रकृति (यह भी उल्लेख करें कि क्या तकनीकी ज्ञान सहित किसी अन्य प्रकार की सहायता दी गई थी):				
		डब्ल्यूओएस/जेवी का नाम	**समर्थन की प्रकृति**		
ट)	तिमाही के दौरान डब्ल्यूओएस/जेवी से प्राप्त विवरणी				
		डब्ल्यूओएस/जेवी का नाम	**प्राप्त विवरणी**		
झ)	जेवी/डब्ल्यूओएस का वित्तीय विवरण				
		डब्ल्यूओएस/ जेवी का नाम	**निवल लाभ**	**आस्ति का आकार (आस्ति एवं देनदारियों की महत्वपूर्ण मदों का विवरण संलग्न किया जा सकता है)**	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नोट: "संयुक्त उद्यम (जेवी)"/"पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस)" का अर्थ मेजबान देश के कानूनों एवं विनियमों के अनुसार गठित, पंजीकृत या निगमित विदेशी कंपनी है जिसमें भारतीय पार्टी/ भारतीय निवासी प्रत्यक्ष निवेश करते है।

विदेशी कंपनी को भारतीय पार्टी/ भारतीय निवासी का संयुक्त उद्यम कहा जाता है, जिसमें भारतीय पार्टी के साथ अन्य विदेशी प्रवर्तक हिस्सेदारी रखते हों। डब्ल्यूओएस के मामले में संपूर्ण पूंजी एक या एक से अधिक भारतीय पार्टी/निवासी भारतीय के अधीन है।

अनुलग्नक –V

आ.वि.कं. द्वारा हेजिंग के प्रयोजन हेतु ब्याज दर फ्यूचर्स लेनदेन - 30 सितंबर/ 31 मार्च, 20......... को समाप्त छमाही हेतु विवरण

आ.वि.कं. का नाम:

ब्याज दर फ्यूचर्स	लेनदेन की संख्या	रूपयें में अनुमानित मूल राशि
अल्प		
दीर्घ		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

परिशिष्ट –I

विवरणियों हेतु संलग्नक

क्रं.सं.	विवरणी	विवरणी हेतु संलग्नक
1.	अनुसूची -I	(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विवरणी की सिस्टम द्वारा जनरेट की गई पीडीएफ (ii) मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के अनुच्छेद 116 में यथा अपेक्षित लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र। (iii) इस विवरणी की तिथि के निकटतम दिनांकित लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते की प्रति। (iv) मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के अनुच्छेद 34 में संदर्भित आवेदन पत्र की प्रति। (v) प्रमुख अधिकारियों की सूची (vi) वर्तमान निदेशकों के नाम एवं पते (vii) कंपनी के प्रवर्तक/प्रवर्तक संस्थानों के नाम एवं पते और शेयरधारिता पैटर्न। (viii) कंपनी के बैंकर के नाम एवं पते (ix) विवरणी के भाग-4A के कोड 143, 144 के अनुसार विवरण, यदि कोई हो। (x) विवरणी के भाग-5B के कोड INV106 के अनुसार विवरण, यदि कोई हो।
2.	अनुसूची -II	(i) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विवरणी की सिस्टम द्वारा जनरेट की गई पीडीएफ (30 सितंबर/31 मार्च के संदर्भ में)। (ii) विवरणी के भाग-1 के कोड A141, A142, A143, A145 तथा A146 के अनुसार विवरण, यदि कोई हो। (iii) विवरणी के भाग-1 के कोड A154 के अनुसार एफडीआई का विवरण, यदि कोई हो। (iv) विवरणी के भाग-5 के कोड BV162 के अनुसार विवरण, यदि कोई हो। (v) मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के अनुच्छेद 6.3.10 के अनुसार ब्याज दर से, विनिमय दर से तथा स्वर्ण से संबंधित डेरिवेटिव, हेतु ऋण संपरिवर्तन कारकों की गणना, यदि कोई हो।
3.	अनुसूची -III	(i) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विवरणी की सिस्टम द्वारा जनरेट की गई पीडीएफ (केवल 31 मार्च की स्थिति हेतु)। (ii) विवरणी के भाग-1 के कोड 114 के अनुसार विवरण, यदि कोई हो।

4.	अनुसूची -IV	(i) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विवरणी की सिस्टम द्वारा जनरेट की गई पीडीएफ (केवल 31 मार्च की स्थिति हेतु)। (ii) विवरणी के भाग-1 के कोड 117C, A229, 121C तथा A233NB के अनुसार विवरण, यदि कोई हो। (iii) विवरणी के भाग-2 के कोड 203 तथा 246 के अनुसार विवरण, यदि कोई हो। (iv) विवरणी के भाग-7 के कोड OS1002, OS826, OS1011, OS1044, और OS1054 के अनुसार विवरण, यदि कोई हो। (v) विवरणी के भाग-8 के कोड 904 के अनुसार विवरण, यदि कोई हो।
5.	अनुसूची -V	(i) रिपोर्ट के तहत माह के दौरान निधियों का संग्रहण एवं परिनियोजन, अर्थात विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत, कुल आधार पर स्रोतों एवं निधियों के अनुप्रयोगों के व्यापक मानदंड।
6.	एलसीआर	(i) कोड के अनुसार, भाग-1 के A120, A125, A130 का विवरण, यदि कोई हो। (ii) कोड के अनुसार, भाग-3 के O105 का विवरण, यदि कोई हो।
7.	एएलएम-I	(i) बहिर्वाह के रो फ़ील्ड कोड, R05, R09 के अनुसार विवरण, यदि कोई हो। (ii) रो फ़ील्ड कोड R17 के अनुसार, अंतर्वाह का विवरण, यदि कोई हो।
8.	एएलएम-II	(i) रो फ़ील्ड कोड के अनुसार, बहिर्वाह के R28 तथा भाग -1 के अंतर्वाह के R52 का विवरण, यदि कोई हो। (ii) रो फील्ड कोड के अनुसार, बहिर्वाह का R28 तथा भाग-2 के अंतर्वाह का R52 का विवरण, यदि कोई हो।

*****